रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 1994/कार्तिक 26, 1916
No. 477] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 1994/KARTIKA 26, 1916

जल-सतह परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1994

सा.का.नि. 818(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1993 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति)
संशोधन विनियम, 1994

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के अंतर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तूत्तुक्कुडि पत्तन के न्यासी बोर्ड, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1979 को आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) ये विनियम तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति), संशोधन विनियम, 1994 कहे जायेंगे।

(2) तूतुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम 1979 की अनुसूची में :—

(i) क्रम संख्या : 13 के सामने वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायें ।

क्रम संख्या	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सीधी भर्ती के लिए नीची और ऊपरी आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
13.	सहायक इंजीनियर (समुद्री)	01* (स्थायी) *कार्यभार के आधार पर बदल सकता है ।	क. 2200-100-4100	श्रेणी II	35 वर्ष से अधिक नहीं	(i) मैट्रिक या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता । (ii) मर्चेंट शिप्पिंग एक्ट, 1958 (1958 का 44) के अधीन जारी समुद्र पर जाने वाले इंजन ड्राइवर (मोटर) की क्षमता प्रमाण पत्र को रखना चाहिए। या डी.एम.ई. के साथ समुद्री विभाग में छह वर्ष का अनुभव। या भारतीय नौ सेना में चीफ इंजनो रूम आरटीफैसर के साथ आठ वर्ष का अनुभव ।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक और अन्य योग्यताएं, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति पदोन्नतियों तथा अन्य विभाग में सदृश पद के धारक व्यक्तियों और प्रतिनियुक्तियों पर लागू होंगी	भर्ती की पद्धति क्या पदोन्नति द्वारा और भर्ती की विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	क्या चयन या अचयन पदोन्नति (पदोन्नति के लिए)	पदोन्नति, स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की निर्धारित शर्तें	पदोन्नति अथवा स्थानांतरण के मामलों में उन कार्यों से, जिनसे पदोन्नति अथवा स्थानांतरण किया जाएगा	अवधि
8	9	10	11	12	
आयु : नहीं योग्यता : हां	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	चयन	पदोन्नति : कनिष्ठ इंजीनियर (समुद्री) पांच वर्ष की सेवा के साथ या नियमित आधार पर नियुक्ति पाने के बाद, प्रत्येक ग्रेड में, क. 1470-1800 वेतनमान में ड्राइवर ग्रेड I (क) के रूप में पांच वर्ष की सेवा । स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति : सदृश्य पद धारण करने वाले अधिकारी या कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिक) पद धारण करने वाले अन्य या उसके समान पद धारण करने वाले, जिन्होंने उक्त ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है और कालम संख्या : 7 के अंतर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हों ।		दो वर्ष

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टियों को क्रम संख्या: 180 और 181 के रूप में जोड़ दिया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	पद का नाम	पद की संख्या	वेतनमान	वर्गीकरण	सीधी भर्ती के लिए नीची और ऊपरी आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक/ योग्यताएं और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
180	कनिष्ठ इंजीनियर (समुद्री)	एक* (स्थायी) *(कार्यभार के आधार पर बदल सकता है	रु. 1385-60-1565-70-2545	श्रेणी III	35 वर्ष से अधिक नहीं	(1) मैट्रिक या उसकी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता। (2) मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 (1958 का 44) के अधीन इंजन ड्राइवर (मोटर) की क्षमता के प्रमाण पत्र को रखना चाहिए। (या) डी.एम.ई. के साथ समुद्री विभाग में आठ वर्ष का अनुभव (या) भारतीय नौ सेना से चीफ इंजन रूप आरटीफैसर के साथ पांच वर्ष का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक और अन्य योग्यताएं प्रोन्नतियों तथा अन्य विभाग में सदृश्य पद के धारक अधिकारियों और प्रतिनियुक्तियों पर लागू होंगी	भर्ती की पद्धति क्या पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	क्या पद चयन या अचयन पद है (पदोन्नति के लिए)	पदोन्नति अथवा स्थानांतरण के मामलों में उन कार्डरों से, जिनसे पदोन्नति अथवा स्थानांतरण किया जाएगा।	प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि
8	9	10	11	12
आयु : नहीं योग्यता : हां	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	चयन	पदोन्नति : नियमित आधार पर नियुक्ति पाने के बाद उक्त ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा किए हुए चार्जमैन (समुद्री) प्रतिनियुक्ति : सदृश्य पद धारण करने वाले अधिकारी या चार्जमैन (समुद्री) पद धारण करने वाले अधिकारी या उसके समान पद धारण करने वाले जिन्होंने उक्त ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और कालम संख्या: 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखते हों।	दो वर्ष

1	2	3	4	5	6	क	7
181.	चार्जमेन (समुद्री)	एक* (स्थायी) *(कार्यभार के आधार पर बदल सकता है)	रु. 1320-50-1620-60-2220.	श्रेणी III	35 वर्ष से अधिक नहीं	(i) मैट्रिक या उसकी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता । (ii) मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 (1958 का 44) के अधीन जारी समुद्र पर जाने वाले इंजन ड्राइवर (मोटर) की क्षमता के प्रमाण पत्र को रखना चाहिए । (या) डी.एम.ई. के साथ समुद्री विभाग में पांच वर्ष का अनुभव (या) भारतीय नौ सेना से चीफ इंजन रूम आरटीफैसर के साथ तीन वर्ष का अनुभव ।	

8	9	10	11	12
आयु : नहीं योग्यता : हां	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	चयन	पदोन्नति : नियमित आधार पर नियुक्ति पाने के बाद उक्त ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा किए हुए सहायक चार्जमेन (समुद्री) प्रतिनियुक्ति : सदृश्य पद धारण करने वाले अधिकारी या चार्जमेन (समुद्री) पद धारण करने अधिकारी या उसके समान पद धारण करने वाले जिन्होंने उक्त ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और कालम संख्या : 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखते हों ।	दो वर्ष

[सं. पी. आर./12012/13/94–पी.ई.-I]

सी. एस. खैरवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : (1) तूत्तुक्कुड़ि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1979, भारत के राजपत्र असाधारण दिनांक 16 मार्च 1979 के सा.का.नि. (इ) में प्रकाशित किए गए थे।

(2) तूत्तुक्कुड़ि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1984, भारत के राजपत्र असाधारण दिनांक 30 जुलाई 1984 के सा.का.नि. 549(इ) में प्रकाशित किए गए थे।

(3) तूत्तुक्कुड़ि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम 1987, भारत के राजपत्र असाधारण दिनांक 21 सितंबर, 1987 के सा.का.नि. 808(इ) में प्रकाशित किए गए थे।

(4) तूत्तुक्कुड़ि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 1989, भारत के राजपत्र दिनांक 20 सितंबर 1989 के सा.का.नि. 848(इ) में प्रकाशित किए गए थे।

(5) तूत्तुक्कुड़ि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) चौथा संशोधन विनियम, 1980, भारत के राजपत्र दिनांक 22 दिसंबर, 1989 के सा.का.नि. 1062 (इ) में प्रकाशित किए गए थे।

(6) तूत्तुक्कुड़ि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) पांचवां संशोधन विनियम, 1992, भारत के राजपत्र दिनांक 11-5-1992 के सा.का.नि. 486(इ) में प्रकाशित किए गए थे।

(7) तूत्तुक्कुड़ि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) छठवां संशोधन विनियम, 1992, भारत के राजपत्र दिनांक 29-6-1992 के सा.का.नि. 645(इ) में प्रकाशित किए गए थे।

(8) तूत्तुक्कुड़ि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) सातवां संशोधन विनियम, 1993, भारत के राजपत्र दिनांक 30-3-1993 के सा.का.नि. 346(इ) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Port Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 1994

G.S.R. 818(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section(i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Trust Employees' (Recruitment Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 1994 made by the Board of Trustees for the Port of Tuticorin and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

TUTICORIN PORT TRUST

TUTICORIN PORT TRUST EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION) AMENDMENT REGULATIONS, 1994

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Tuticorin Port hereby makes the following Regulations further to amend the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1979, namely :—

(1) These Regulations may be called the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 1994.

(2) In the Schedule to the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniroty and Promotion) Regulations, 1979 :—

(i) For existing entries in Sl. No. 13, the following entries shall be substituted namely :—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the post	No. of posts	Scale of pay	Classification	Age limits lower and upper for direct recruits	Educational qualifications and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	Assistante Engineer (Marine)	Two (Permanent)	Rs. 2200–4100	Class II	Not exceeding 35 years.	(i) Pass in Matriculation or equivalent examination. (ii) Must possess Certificate of Competency as Sea Going Engine Driver (Motor) issued under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) (OR) D.M.E. with ten years of experience in Marine Department. (OR) Chief Engine Room Artificer from Indian Navy with eight years of experience.

Whether age and educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees and persons holding an analogous post in another Department and Deputationists	Method of recruitment whether by promotion, transfer, deputation or direct recruitment and percentage of vacancies to be filled by different methods of recruitment	Whether post is a selection post or non-selection post (for promotion only)	In case of promotion or transfer cadres from which promotion or transfer shall be made	Prescribed period of probation
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Age : No Qualification : Yes	By promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Selection.	Promotion : Junior Engineer (Marine) with five years of service or Driver Grade 1(A) in the scale of Rs. 1470-2800 with 5 years service in respective grades afetr appointment thereto on a regular basis. Transfer/Deputation : Officers holding analogous posts or officers holding the posts of Junior Engineer (Mech) or equivalent with 5 years regular service in the grade and possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column No. 7.	Two years.

(ii) The following entries shall be added as Sl. No. 180 and 181 :—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the post	No. of posts	Scale of pay	Classification	Age limits lower and upper for direct recruits	Educational qualifications and other qualifications required for direct recruits
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
180.	Junior Engineer (Marine)	One (Permanent)	Rs. 1385-60-1565-70-2545.	Class III	Not exceeding 35 years.	(i) Pass in Matriculation or equivalent examination. (ii) Must possess Certificate of Competency as Sea Going Engine Driver (Motor) issued under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) (OR) D.M.E. with eight years of experience in Marine Department. (OR) Chief Engine Room Artificer from Indian Navy with five years of experience.

Whether age and educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees and persons holding an analogous post in another Department and Deputationists	Method of recruitment whether by promotion, transfer, deputation or direct recruitment and percentage of vacancies to be filled by different methods of recruitment	Whether post is a selection post or non-selection post (for promotion only)	In case of promotion or transfer cadres from which promotion or transfer shall be made	Prescribed period of probation
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Age : No Qualifications : Yes	By promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Selection.	Promotion : Chargeman (Marine) with five years of service in the grade after appointment thereto on a regular basis. Transfer/Deputation : Officers holding analogous posts or officers holding the post of Chargeman (Marine) or equivalent with 5 years regular service in the grade and possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under Column No. 7.	Two years.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
181.	Chargeman (Marine)	One (Permanent)	Rs. 1320-50-1620-60-2220.	Class III	Not exceeding 35 years.	(i) Pass in Matriculation or equivalent examination. (ii) Must possess Certificate of Competency as Sea Going Engine Driver (Motor) issued under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 1958) (OR) D.M.E. with five years of exprience in Marine Department. (OR) Chief Engine Room Artificer from Indian Navy with three years of experience.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Age : No Qualification : Yes	By promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Selection.	Promotion : Assistant Chargeman (Marine) with five years of service in the grade after appointment thereto on a a regular basis. Transfer : Officers holding analogous post or officers holding the post of Chargeman (Marine) or equivalent with 5 years regular service in the grade and possessing the qualifications and exerpelence prescribed for direct recruits under Column No. 7.	Two years

[No. PR/12012/13/94-PE-I]
C.S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

NOTE : (1) The Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1977, were published vide G.S.R No. 234(E) of the Gazette of India, Extra-Ordinary, dated the 16th March, 1979.

(2) The Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 1984, were published vide G.S.R. No. 549(E) of the Gazette of India, dated the 30th July, 1984.

(3) The Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 1989, were published vide G.S.R. No. 808(E) of the Gazete of India, dated the 21st September, 1987.

(4) The Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Third Amendment Regulations, 1989, were published vide G.S.R. No. 848 (E) of the Gazette of India, dated the 20th September, 1989.

(5) The Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Fourth Amendment Regulations, 1989, were published vide G.S.R. No. 1062 (E) of the Gazette of India, dated the 12nd December, 1989.

(6) The Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Fifth Amendment Regulations, 1992, were published vide GSR No. 426 (E) of the Gazette of India, dated the 11th May, 1992.

(7) The Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Sixth Amendment Regulations, 1992, were published vide G.S.R. No. 648(E) of the Gazette of India, dated the 29th June, 1992.

(8) The Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Seventh Amendment Regulations, 1993, were published vide G.S.R. No. 346(E) of the Gazette of India, dated the 30th March, 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995